

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण
(धनराशि लाख रुपये में)

31 मार्च 2021 तक

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों/विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केन्द्र पोषित योजनाएं													
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	5000.000	2035.58111	1434.76962	8470.35073	1851.31555	2035.58111	1434.76962	5321.666	1851.31555	2035.58111	1434.76962	5321.66628
	एनआरएलएम के अन्तर्गत स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिकता कार्यक्रम (एसभीईपी)					460.55555			460.556	460.55555	0.000	0.000	460.55555
	एनआरएलएम के अन्तर्गत आरसेटी योजना					298.34750			298.348	298.34750			298.34750
	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)					37.11111			37.111	37.11111			37.11111
2	पं० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	2700.000	2700.000	1000.000	6400.000	212.340	1200.000	400.000	1812.340	212.340	1200.000	400.000	1812.340
	राज्य आकस्मिकता निधि से अवमुक्त की गयी धनराशि का समायोजन	0.00000	0.00000	0.000	0.00000	1404.19919	814.43552	589.76366	2808.398	1404.199	814.436	589.764	2808.398
नोट:- कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासन द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत धनराशि का समायोजन किया गया.													
3	डी०आर०डी०ए०प्रशासनिक मद	722.000	0.000	0.000	722.000	721.799			721.799	721.799	0.000	0.000	721.799
4	प्रधानमंत्री आवास योजना	9025.000	4398.73437	1525.74038	14949.475				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	एन.आर.ई.जी.ए.	21000.000	4600.57452	1128.000	26728.575	19604.43349	4600.57452	1008.54198	25213.54999	19604.433	4600.57452	1008.542	25213.550
	उत्तराखण्ड सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण					176.750	0.000	0.000	176.750	176.750	0.000	0.000	176.750
6	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन के अन्तर्गत चयनित कलस्टरों में विकास	2175.000	0.000		2175.000	2175.000			2175.000	2175.000	0.000	0.000	2175.000
7	राष्ट्रीय परियोजना बायोगैस विकास संयंत्रों की सीपना(100%के.स.)	0.010	0.010	0.010	0.030	24.000	22.060		46.060	24.000	22.060	0.000	46.060
8	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत प्रोग्राम फण्ड की धनराशि (90 प्रति.के.पो.)	154258.67225	0.010	0.010	154258.692	154258.67225			154258.67225	#####	0.000	0.000	154258.672
9	यू०आर०आर०डी०ए० के अन्तर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं हेतु	0.000	0.000		0.000				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2818.220	0.000		2818.220	2791.080			2791.080	2791.080	0.000	0.000	2791.080

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों / विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.पी.ए.) के अन्तर्गत विकास खण्डों के कार्यालय भवन निर्माण					2774.890			2774.890	2774.890			2774.890
	योग केन्द्र पोषित योजनाएं	197698.902	13734.910	5088.530	216522.342	186790.494	8672.651	3433.075	198896.220	186790.494	8672.651	3433.075	198896.220
	राज्य पोषित योजनाएं												
1	दीनदयाल उत्तराखण्ड आवासीय योजना	0.01	0.01	0.01	0.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु	40.00	0.00	0.00	40.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	इन्दिरा अम्मा भोजनालय अन्तर्गत सब्सिडी	100.00	0.00	0.00	100.00	64.651			64.651	64.651	0.00	0.00	64.651
4	राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई	30.00	0.00	0.00	30.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान के आवासीय/ अनावासीय भवनों की मरम्मत	50.00	0.00	0.00	50.00	28.99			28.99	28.99	0.00	0.00	28.99
6	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एन.पी.बी. का भुगतान	12600.00	2577.00	750.00	15927.00	12600.00	2577.00	750.00	15927.00	12600.00	2577.00	750.00	15927.00
7	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00			30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
8	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान	1400.00	100.00	104.00	1604.00	1000.00			1000.00000	1000.0000	0.00	0.00	1000.0000
9	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत	3000.00	600.00	300.00	3900.00	3000.00	600.00	300.00	3900.00	3000.00	600.00	300.00	3900.00
10	विधायक निधि	15034.25	5058.75	1065.00	21158.00	14976.50	3695.50	778.00	19450.00	14976.50	3695.50	778.00	19450.00
11	उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मेरा गांव मेरी सड़क	438.95775	400.00	247.63	1086.59	438.95775	108.31425	22.80300	570.07500	438.95775	108.31425	22.80300	570.07500
13	उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण	0.01	0.00	0.00	0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण	9.21	0.00	0.00	9.21	9.20			9.20	9.20	0.00	0.00	9.20
15	मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना	0.01	0.00	0.00	0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	आयुक्त,ग्राम्य विकास पौड़ी के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण	0.01	0.00	0.00	0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	विशेष क्षेत्र विकास योजना	0.01	0.00	0.00	0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों / विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत सेटज चार्ज,यएस.क्यू.सी.सी. तथा पी.एम.सी. का	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00			2500.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00
19	ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर(आर.बी. ए.डी.पी)	200.00	0.00	0.00	200.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एम.बी.ए.डी.पी)	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1418.62			1418.62	1418.62	0.00	0.00	1418.62
21	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपात कालीन निधि	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00			400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
22	मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना	1800.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00			1800.00	1800.00	0.00	0.00	1800.00
	योग राज्य पोषित योजनाएं	39132.47	8735.76	2466.64	50334.87	38266.92	6980.81	1850.80	47098.54	38266.92	6980.81	1850.80	47098.54

वाह्य सहायतित योजनाएं

1	आईफ़ेड वाह्य सहायतित योजना	7000.00	270.00	37.00	7307.00	7000.00	270.00	37.00	7307.00	7000.00	270.00	37.00	7307.00
	आईफ़ेड वाह्य सहायतित योजना (पूजीगत परियोजना के अन्तर्गत धन0 प्राविधान)	0.01			0.01				0.00				0.00
	योग वाह्य सहायतित योजनाएं	7000.01	270.00	37.00	7307.01	7000.00	270.00	37.00	7307.00	7000.00	270.00	37.00	7307.00
	सम्पूर्ण योग आयोजनागत	243831.38	22740.67	7592.17	274164.22	232057.41	15923.47	5320.88	253301.76	232057.41	15923.47	5320.88	253301.76
	अधिष्ठान मद												
1	ग्राम्य विकास का मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान	495.86	0.00	0.00	495.86	433.99			433.99	433.99	0	0	433.99
2	कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)	1052.53	0.00	0.00	1052.53	1049.566			1049.57	1049.566	0	0	1049.57
3	ग्राम्य विकास संस्थान में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मिकों का वेतन	90.00	0.00	0.00	90.00	70.32			70.32	70.32	0	0	70.32
4	ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम	50.00	0.00	0.00	50.00	33.30			33.30	33.3	0	0	33.30
5	जनपद/विकास खण्ड अधिष्ठान	16595.51	0.00	0.00	16595.51	16549.8398			16549.84	16549.8398	0	0	16549.84
6	राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास संस्थान	20.00	0.00	0.00	20.00	2.25			2.25	2.25	0	0	2.25
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अधिष्ठान	8142.00	0.00	0.00	8142.00	8017			8017.00	8017	0	0	8017.00
8	गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान	1764.91	0.00	0.00	1764.91	1738.117			1738.11700	1738.11700	0	0	1738.12
9	ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग	150.89	0.00	0.00	150.89	99.59			99.59	99.59	0	0	99.59

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों/विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की	48.78	0.00	0.00	48.78	44.930			44.930	44.93	0	0	44.93
11	डीआरडीए प्रकोष्ठ वेतन भत्ते आदि	39.19	0.00	0.00	39.19	35.43			35.43	35.43	0	0	35.43
	योग अधिष्ठान मद	28449.67	0.00	0.00	28449.67	28074.33	0.00	0.00	28074.33	28074.33	0.00	0.00	28074.33
	सम्पूर्ण योग	272281.05	22740.67	7592.17	302613.89	260131.75	15923.47	5320.88	281376.09	260131.75	15923.47	5320.88	281376.09

नोट:- शासनादेश संख्या 834/XI/20/56(78) 2016 दिनांक 29 सितम्बर 2020 से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई) के अन्तर्गत अनुदान सं० 19 में R 1404.

19919 लाख, अनुदान सं० 30 में R 814.43552 लाख तथा अनुदान सं० 31 में R 589.76366 लाख इस प्रकार कुल R 2808.39837 लाख राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है. शासनादेश संख्या 14/XI/19/56(78)2016 दिनांक 19 जनवरी 2021 से योजनान्तर्गत प्रथम अनुपूरक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्य आकस्मिकता निधि से आवंटित धनराशि का समायोजन किया गया है जिसे आय-व्ययक में घटाया गया है.

2-राष्ट्रीय वायोगैस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई.

3- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत अनुदान सं० 30 में रू० 126.82556 लाख तथा जनजाति में रू० 208.21406 लाख, कुल रू० 335.03962 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से पुर्नविनियोग किया गया जिसे आय-व्ययक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत आय-व्ययक में बजट प्राविधान में जोड़ा गया है तथा पीएमएवाई के बजट से कम किया गया है.

4- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत अनुदान सं० 30 में रू० 889.00 लाख तथा जनजाति में रू० 586.00 लाख, कुल रू० 1475.00 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है.

5- दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं० 19 में रू० 2500.00, अनु० सं० 30 में रू० 1500.00 लाख तथा अनु० सं० 31 में रू० 600.00 लाख, कुल रू० 4600.00 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है.

6- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनु० सं० 30 में रू० 2645.89 ला० तथा अनुदान सं० 31 में रू० 874.51 लाख, कुल रू० 3520.40 ला० प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है.

7- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्रोग्राम फण्ड) के अन्तर्गत अनु० सं० 19 में रू० 50000.00 ला० प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है.

8- सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अन्तर्गत अनु० सं० 19 में रू० 2818.22 ला० प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है.

9- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भूमि अधिग्रमण/एनपीवी के भुगतान के अन्तर्गत अनु० सं० 19 में रू० 5000.00 ला०, अनु० सं० 30 में रू० 500.00 तथा अनु० सं० 31 में रू० 300.00, कुल रू० 5800.00 प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है.

10- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सेंटेंज चार्ज, यूएसक्यूसीसी तथा पीएमसी के भुगतान के अन्तर्गत अनु० सं० 19 में रू० 1000.00 ला० प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है.

11- सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अनु० सं० 07 में रू० 9.20 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया है जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है.

12- आयुक्तालय हेतु अधिष्ठान मद के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण में रू० 30.00 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया है जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है.

13- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क अधिष्ठान मद के अन्तर्गत कुल रू० 60.00 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया है जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है.

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों/विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग	अनुदान सं० 19	अनुदान सं० 30	अनुदान सं० 31	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

14— ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के अन्तर्गत मानक मद 29—गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण ईंधन आदि खरीद हेतु रू० 18.00 लाख प्रथम अनुपूरक में स्वीकृत किया गया है जिसे आय-व्ययक में जोड़ा गया है.

15— इस प्रकार ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक में कुल रू० 69330.82 लाख स्वीकृत किया गया है जिसे अनु०सं० 19 में रू० 61426.22 लाख, अनु०सं० 30 में रू० 5534.89 लाख, अनु०सं० 31 में रू० 2360.51 लाख तथा अनुदान सं० 07 में रू० 9.20 लाख सम्मिलित है.

16— श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं० 19 से रू० 1175.00 लाख का पुर्नविनियोग किया गया जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा.) के अनु०सं० 19 में कम करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के आय-व्ययक में जोड़ा गया है.

नोट— 'डी.आर.डी.ए. प्रशासनिक मद की जनपद देहरादून, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि रू. 203.42 लाख राजकोष में जमा की गई है।

17— शासन के पत्र संख्या 555/दि० 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रोग्राम फण्ड के अनु० सं० 19 के अन्तर्गत डीआरडीए प्रशासनिक मद से रू० 278.00 ला०, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा०) से रू० 1800.00 लाख, इन्दिरा अम्मा भोजनालय से रू० 600.00 लाख, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना से रू० 710.00 लाख, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) से रू० 3500.00 लाख, विधायक निधि से रू० 5467.00 लाख, उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से रू० 42.63 लाख, मेरा गांव मेरी सड़क योजना से रू० 261.04225 लाख, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एमबीएडीपी) से रू० 500.00 लाख, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपातकालीन निधि से रू० 600.00 लाख तथा यू०आर०आर०डी०ए०नाबार्ड पोषित के अन्तर्गत रू० 500.00 लाख इस प्रकार कुल रू० 14258.67225 लाख का पुर्नविनियोग किया गया जिसे पीएमजीएसवाई प्रोग्राम फण्ड के आय-व्ययक में बजट प्राविधान जोड़ते हुए उक्तानुसार सम्बंधित योजनाओं के आय-व्ययक में बजट प्राविधान घटाया गया है.

18— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अनुदान सं० 30 में रू० 100.57452 लाख का पुर्नविनियोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुदान सं० 30 में प्राविधानित धनराशि से पुर्नविनियोग किया गया जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राविधानित धनराशि से घटाकर आय-व्ययक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में जोड़ा गया है.

19— राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अन्तर्गत अनुदान सं० 30 में रू० 19.75555 लाख का पुर्नविनियोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुदान सं० 30 में प्राविधानित धनराशि से तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुदान सं० 31 में रू० 40.55556 लाख का पुर्नविनियोग पीएमएवाई के अनुदान सं० 31 में प्राविधानित धनराशि से किया गया जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राविधानित धनराशि के अनुदान सं० 30 एवं 31 से घटाकर आय-व्ययक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अनुदान सं० 30 एवं 31 में जोड़ा गया है.

20— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एनपी.बी का भुगतान मद के अनुदान सं० 19 में रू० 2600.00 लाख, अनुदान सं० 30 में रू० 300.00 लाख तथा अनुदान सं० 31 में रू० 100.00 लाख, कुल रू० 3000.00 लाख का पुर्नविनियोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत आधिक्य व्यय के भुगतान से किया गया जिसे आय-व्ययक में उक्तानुसार आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एनपीबी मद के भुगतान के अनुदान सं० 19, 30 एवं 31 में जोड़कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आधिक्य व्यय भुगतान मद के आय-व्ययक के अनुदान सं० 19, 30 एवं 31 में घटाया गया है.

21— मनरेगा योजना अन्तर्गत अनु०सं० 19 में रू० 960.00 लाख तथा अनुदान सं० 31 में रू० 40.00 लाख, कुल रू० 1000.00 लाख इस वित्तीय वर्ष हेतु राज्य सरकार द्वारा 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु श्रमांश की धनराशि अवमुक्त की गयी.

22— विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.पी.ए.) योजना अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के विकास खण्डों के कार्यालय भवन निर्माण हेतु रू० 2774.89 लाख अवमुक्त किया गया.

23—मेरा गांव मेरी सड़क योजना अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा अनु०ज०जा० की धनराशि रू० 1.504 लाख आहरण नहीं किया गया.

24—इन्दिरा अम्मा भोजनालय अन्तर्गत जनपद चम्पावत द्वारा रू० 2,49,490.00 तथा जनपद टिहरी द्वारा रू० 580.00 कुल रू० 2,50,070.00 समर्पित किया गया.